

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1
राज्य रूपरेखा
प्रस्तर 1.1
(संदर्भ: राज्य की रूपरेखा ; पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आँकड़े*:

क्रम संख्या	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) ख. जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.50 प्रतिशत)		17.80 प्रतिशत
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत) ख. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 प्रतिशत)		71.62 प्रतिशत 79.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित जन्म)		34
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10)		अनुपलब्ध
8	गिनी गुणांक** क. ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.276) ख. शहरी (अखिल भारतीय = 0.371)		0.231 0.395
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2013-14 चालू मूल्य पर		1,22,433
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)		17.66 प्रतिशत
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)		19.42 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)		14.33 प्रतिशत

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)			
विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)	
सी ए जी आर		2004-05 से 2012-13	2004-05 से 2013-14
क	राजस्व प्राप्तियों का	18.37	17.41
ख	राजस्व कर का	20.49	19.83
ग	करेन्टर राजस्व का	14.36	10.23
घ	कुल व्यय	13.72	13.72
इ	पूँजी व्यय	15.27	14.06
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	16.44	15.37
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	19.32	18.35
ज	वेतन	21.67	20.60
झ	पेंशन	18.39	22.07

*सामान्य आँकड़ों का स्रोत: आँकड़ों की पुस्तिका जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए है, योजना आयोग, भारत सरकार - 21 जुलाई 2014 (website <http://planningcommission.gov.in>)

** गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है; एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट 1.1
प्रस्तर 1.2.1
(संदर्भ: पृष्ठ 1 एवं 7)

भाग अः सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।

भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित ‘राज्य की समेकित निधि’ नाम से जाना जाता है।

भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।

भाग बः वित लेखे का विन्यास

विवरण	विन्यास
खण्ड 1	
विवरण संख्या-1	वितीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। लेखे पर कार्य एवं प्रकृति टिप्पणी।
परिशिष्ट ।	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
खण्ड 2	
भाग - /	
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियाँ तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
भाग - //	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।

परिशिष्ट 1.1 क्रमशः:

विवरण संख्या-15	उधारियों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	नेशनलिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।

आग - ///

परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय।
IV	सहायतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य आयोजनागत योजनायें)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।
XII	नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान वृहत नीति निर्णयों के क्रिन्यान्वयन का विवरण।

परिशिष्ट 1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित हैं (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ ३), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेतर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ ३ के प्रतिशतके रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ ३ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ ३ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ ३ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*	2013-14*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
स रा घ ३ की वृद्धि दर	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50
स्रोत: मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना					

* अनन्तिम आगणन * त्वरित आगणन * अग्रिम आगणन

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय- स रा घ ३ और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय- स रा घ ३ अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय- स रा घ ३ अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

$$\text{कुल व्यय}/\text{स रा घ ३} = X$$

$$\text{कुल व्यय} = X^* \text{स रा घ ३} \dots\dots\dots(1)$$

जहाँ X कुल व्यय- स रा घ ३ अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय- स रा घ ३ अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

$$\text{वि व्यय}/\text{कु व्यय} = Y$$

$$\text{वि व्यय} = Y^* \text{ कु व्यय} \dots\dots\dots(2)$$

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{वि व्यय} = Y^* X^* \text{ स रा घ उ } \dots\dots\dots\dots\dots(3)$$

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = \text{वि व्यय}/ज \dots\dots\dots\dots\dots(4)$$

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = (Y^* X^* \text{ स रा घ उ})/ज \dots\dots\dots\dots\dots(5)$$

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती हैं।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी हैं:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	[(वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि)-1]*100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत व्याज	व्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व)2]*100
व्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत व्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*व्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर व्याज प्राप्ति का प्रतिशत	प्राप्त व्याज [(प्रारम्भिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - व्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाया समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिक्रेखित व्यय शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 1.2

भाग ब

(संदर्भः प्रस्तरा 1.1; पृष्ठ 2)

**राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005
(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)**

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्यास राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुरूपिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

- (क) 1 अप्रैल 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;
- (ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 प्रतिशत रखेगी।
- (ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत व 37.20 प्रतिशत से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;
- (घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं
- (छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय सुधार पथ के सूचक	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (बजटीय)	2013-14 (संशोधित)	2014-15 (बजटीय)	2015-16 (प्रक्षेपित)	2016-17 (प्रक्षेपित)	2017-18 (प्रक्षेपित)
ए. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	6,414.24	7,111.42	7,288.52	8,023.26	9,306.98	10,796.10	12,523.47
2. स्वयं का करेतर राजस्व	1,602.88	1,216.26	1,262.16	1,807.46	1,412.05	1,276.62	1,162.75
3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)	8,017.12	8,327.68	8,550.69	9,830.72	10,719.03	12,072.72	13,686.22
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	3,272.88	3,896.39	3,896.39	4,134.00	4,630.08	5,185.69	5,807.97
5.आयोजनागत अनुदान	3,588.57	6,107.07	6,805.74	9,772.19	10,749.41	8,814.75	9,696.22
6.आयोजनेतर अनुदान	868.65	624.58	1,296.62	737.54	737.54	737.54	737.54
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	7,730.10	10,628.04	11,998.75	14,643.73	16,117.03	14,737.98	16,241.74
8. कुल राजस्व प्रासियाँ (3+7)	15,747.22	18,955.72	20,549.44	24,474.45	26,836.06	26,810.69	29,927.96
9.आयोजनागत व्यय	5,511.09	8,710.38	9,784.61	11,677.23	12,844.95	11,119.85	13,343.82
10.आयोजनेतर व्यय	13,751.16	16,619.46	17,214.10	18,676.55	20,917.74	23,427.86	26,942.04
11. वेतन व्यय	6,044.28	7,404.18	7,155.61	8,144.60	9,203.40	10,399.84	11,959.81
12. पेंशन	1,365.68	1,989.55	2,014.55	2,424.48	2,691.17	2,987.20	3,315.79
13. ब्याज भुगतान	2,088.73	2,540.85	2,245.85	2,947.93	3,365.57	3,833.78	4,355.28
14. उपदान- सामान्य	--	--	--	--	--	--	--
15. उपदान-विद्युत	--	--	--	--	--	--	--
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	13,960.22	18,054.20	19,001.05	23,792.03	26,409.15	26,277.20	28,249.44
17.वेतन+ब्याज+ पेंशन (11+12+13)	9,498.69	11,934.58	11,416.01	13,517.01	15,260.14	17,220.82	19,630.89
18.राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (17/8)	60.32	62.96	55.55	55.23	56.86	64.23	65.59

19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	1,787.00	901.52	1,548.39	682.42	426.91	533.49	1,678.52
बी. समेकित राजस्व लेखा :							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	1,787.00	901.52	1,548.39	682.42	426.91	533.49	1,678.52
सी. समेकित क्रूणः							
1. बकाया क्रूण एवं दायित्व	23,519.10	28,498.94	27,104.31	31,051.52	35,691.94	40,894.29	46,688.78
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,570.15	1,570.15	1,474.57	1,474.57	1,474.57	1,474.57	1,474.57
डी. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	3,542.10	4,874.19	5,266.47	4,591.37	5,142.33	5,810.84	6,973.01
2. क्रूणों एवं अग्रिमों का संवितरण	272.57	248.66	616.41	212.59	50.00	50.00	600.00
3. क्रूणों एवं अग्रिमों की वसूली	428.44	684.59	739.59	45.70	125.00	125.00	100.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	2,982.59	3,536.74	3,594.90	4,075.84	4,640.42	5,202.34	5,794.49
ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	1,599.23	3,536.74	3,594.90	4,075.84	4,640.42	5,202.34	5,794.49
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,08,343.39	1,21,994.70	1,21,994.70	1,37,366.00	1,54,674.10	1,74,163.00	1,96,107.60
एफ. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.06	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
* इसमे भविष्य निधि की धनराशि समाहित है							

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.9.2 एवं 1.10 (ii) ; पृष्ठ 10, 27 एवं 32)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष →	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	9,486	11,608	13,691	15,747	17,321
(i) कर राजस्व	3,559(38)	4,405(38)	5,616(41)	6,414(41)	7,356(42)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,247(63)	2,940(67)	3,644(65)	4,289(67)	4,903(67)
राज्य आबकारी	705(20)	756(17)	844(15)	1,118(17)	1,269(17)
वाहनों पर कर	184(5)	227(5)	335(6)	304(5)	369(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	399(11)	440(10)	524(9)	648(10)	687(10)
भू-राजस्व	9(0.25)	18(0.41)	10(--)	11(--)	22(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	15(0.42)	24(0.54)	259(5)	44(1)	106(1)
(ii) करेतर राजस्व	632(7)	678(6)	1,136(8)	1,603(10)	1,317(8)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	1,550(16)	2,460(21)	2,866(21)	3,273(21)	3,573(21)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,745(39)	4,065(35)	4,073(30)	4,457(28)	5,075(29)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	--	--	--	180
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	65	85	91	428	55
4. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	9,551	11,693	13,782	16,175	17,556
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,682	2,427	2,336	2,968	3,873
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,582(94)	2,384(98)	2,289(98)	2,933(99)	3,838(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत नियल लेन-देन	69(4)	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	319(2)	43(2)	47(2)	35(1)	35(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	11,233	14,120	16,118	19,143	21,429
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	37	582	126	32	412
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,226	18,829	19,668	21,925	25,954
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	25,496	33,531	35,912	41,100	47,795
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	10,657	11,621	12,975	13,960	16,216
आयोजनागत	2,299(22)	2,472(21)	2,321(18)	2,427(17)	2,767(17)
आयोजनेतर	8,358(78)	9,149(79)	10,654(82)	11,533(83)	13,449(83)
सामान्य सेवायें (व्याज भुगतानों सहित)	3,694(35)	4,180(36)	4,475(35)	5,372(38)	6,182(38)

सामाजिक सेवायें	4,980(47)	5,169(44)	6,019(46)	6,096(44)	7,298(45)
आर्थिक सेवायें	1,658(16)	1,864(16)	2,102(16)	1,995(14)	2,068(13)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	325(3)	408(4)	379(3)	497(4)	668(4)
11. पूँजीगत व्यय	1,647	1,855	2,317	3,542	3,712
आयोजनागत	995(60)	1,859(100)	2,071(89)	2,972(84)	3,138(85)
आयोजनेतर	651(40)	(-)4	246(11)	570(16)	574(15)
सामान्य सेवायें	109(7)	105(5)	77(3)	129(4)	138(4)
सामाजिक सेवायें	109(7)	235(13)	369(16)	715(20)	841(22)
आर्थिक सेवायें	1,429(87)	1,515(82)	1,871(81)	2,698(76)	2,733(74)
12. क्रहण एवं अग्रिमों का संवितरण	30	60	247	273	278
13. योग (10+11+12)	12,334	13,536	15,539	17,775	20,206
14. लोक क्रहण का पुनर्भूगतान	473	519	1,016	1,472	1,317
आन्तरिक क्रहण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	437	448	667	1,412	1,266
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	45	323	31	--
भारत सरकार से क्रहण एवं अग्रिम	36	26	26	29	51
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	515	(-) 400	--	400
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	12,807	14,570	16,155	19,247	21,923
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	71	537	69	32	194
18. लोक लेखा संवितरण	12,322	17,733	19,832	20,961	25,190
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,200	32,840	36,056	40,240	47,307
भाग स. घाटा अधिकव्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(-)1,171	(-) 13	(+)716	(+)1,787	(+) 1,105
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	2,783	1,843	1,757	1,600	2,650
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1,445	(-) 363	(+) 12	(+)489	(-)594
भाग द. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,338	1,480	1,769	2,089	2,056
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	324	408	379	497	668
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	107/09	93	73	2	16
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	2	1	0.88	0.01	0.09
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [®]	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	18,748	21,598	23,609	25,540	28,767
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1,511	1,511	1,739	1,570	1,475
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	1,386	2,122	2,722	2,722	2,513
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	140	89	63	192	96
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,081	63	121.80	95	266

भाग य. राजकोषीय सुदृढता-सूचक					
/ संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ ३	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वयं का करेतर राजस्व /स रा घ ३	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ ३	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
// व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स रा घ ३	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17
कुल व्यय /राजस्व प्रासियाँ	1.30	1.17	1.13	1.13	1.17
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.86	0.86	0.83	0.79	0.80
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.41	0.40	0.41	0.40	0.40
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.13	0.14	0.15	0.20	0.18
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.13	0.14	0.19	0.18
/// राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ ३	(-) 0.017	(-)*	(+) 0.007	(+) 0.016	(+) 0.009
राजकोषीय घाटा/स रा घ ३	(-) 0.039	(-) 0.022	(-) 0.018	(-) 0.014	(-) 0.022
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ ३	(-) 0.020	(-) 0.004	(+)*	(+) 0.004	(-) 0.005
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(-) 0.420	(-) 0.007	(+) 0.408	(-) 1.117	(-) 0.417
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ ३	(-) 0.036	(-) 0.018	0.010	0.002	(-) 0.007
/IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ ३	0.27	0.26	0.24	0.22	0.23
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.98	1.86	1.72	1.62	1.66
मात्रात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	(+) 2,083	(+) 1,592	(+) 1,811	(+) 2,164	(+) 1,112
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+व्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	0.95	0.83	0.94	1.00	0.82
V अन्य राजकोषीय सुदृढता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-) 1,384	(-) 46	(-) 250	(+) 775	(-) 223
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.82	0.77	0.82	0.90	0.96

कोषकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ ३ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 27)
भाग 3
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियो एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मंद	2012-13		2013-14		विविध मंद	2012-13	2013-14			
							आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
खण्ड-3 राजस्व										
I- राजस्व प्राप्तियाँ		15,747.22		17,320.53	I-राजस्व व्यय	13,960.22	13,449.44	2,766.97	16,216.41	16,216.41
(i) कर राजस्व	6,414.24		7,355.34		सामान्य सेवायें	5,372.23	6,178.37	3.67	6,182.04	
(ii) करेतर राजस्व	1,602.88		1,316.54		सामाजिक सेवायें	6,095.84	5,074.62	2,223.39	7,298.01	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	3,272.88		3,573.38		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,739.78	3,472.02	595.52	4,067.53	
(iv) आयोजनेतर अनुदान	868.64		980.77		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	805.47	587.92	311.31	899.23	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,040.12		3,558.07		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	508.63	228.17	319.41	547.58	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	548.46		536.43		सूचना एवं प्रसारण	41.49	47.33	0.98	48.31	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	205.28	93.73	158.14	251.87	
		--			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	70.62	72.33	25.72	98.05	
					समाज कल्याण एवं पोषण	680.70	561.66	785.10	1,346.76	
					अन्य	43.87	11.46	27.21	38.67	
					आर्थिक सेवायें	1,995.29	1,528.04	539.91	2,067.95	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,058.06	753.62	259.80	1,013.41	
					ग्राम्य विकास	284.96	204.56	151.96	356.52	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	

					सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	308.88	316.42	2.88	319.30	
					ऊर्जा	13.90	3.68	3.69	7.37	
					उद्योग एवं खनिज	43.43	29.37	25.01	54.39	
					परिवहन	209.88	190.88	33.72	224.59	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9.15	0.85	7.68	8.53	
					सामान्य आर्थिक सेवाएँ	67.03	28.67	55.17	83.84	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	496.86	668.41	--	668.41	
योग		15,747.22		17,320.53	योग	13,960.22				16,216.41
II- राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तरित		--		--	II- राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तरित	1,787.00				1,104.12
योग		15,747.22		17,320.53	योग	15,747.22				17,320.53
III- स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		1,085.18		1945.54	III- रिजर्व बैंक औफ इण्डिया से प्रारम्भिक औवरड्राफ्ट	--				--
IV - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	180.40	IV - पूँजीगत परिव्यय	3,542.09	573.76	3,138.27	3,712.03	3,712.03
					सामान्य सेवाएँ	129.37	37.49	100.41	137.90	
					सामाजिक सेवाएँ	714.82	0.15	840.66	840.81	
					शिक्षा, खेलकूट, कला एवं संस्कृति	246.82	--	306.96	306.96	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	139.31	--	148.02	148.02	
					जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	268.11	--	282.84	282.84	
					सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37.35	0.15	78.28	78.43	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.98	--	14.15	14.15	
					अन्य	17.25	--	10.41	10.41	

				आर्थिक सेवायें	2,697.90	536.12	2,197.20	2,733.32	
				कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	541.97	531.87	66.21	598.08	
				ग्राम्य विकास	246.73	1.76	324.20	325.97	
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	
				सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	386.85	2.48	457.60	460.08	
				ऊर्जा	516.12	--	255.62	255.62	
				उद्योग एवं खनिज	16.86	--	9.36	9.36	
				परिवहन	969.14	--	1,051.80	1,051.80	
				सामान्य आर्थिक सेवायें	20.23	--	32.41	32.41	
				योग	3,542.09				3,712.03
V- क्रृष्ण एवं अग्रिम की वसूलियाँ		428.44	55.23	V- संवितरित क्रृष्ण एवं अग्रिम	272.57	1.76	276.23	277.99	277.99
विद्युत परियोजनाओं से	422.16		47.26	विद्युत परियोजनाओं के लिए	84.35	--	52.53	52.53	
सरकारी कर्मचारियों से	4.49		3.60	सरकारी कर्मचारियों को	1.03	1.27	--	1.27	
अन्य से	1.79		4.37	अन्य को	187.19	0.49	223.70	224.19	
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	--	1,787.00	1,104.12	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	--	--	--	--	
VII- लोक क्रृष्ण प्राप्तियाँ		2,967.43	3,873.17	VII- लोक क्रृष्ण का पुनर्भुगतान	1,472.21				1,316.81
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक क्रृष्ण	2,932.72		3,838.21	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक क्रृष्ण	1,412.90			1265.51	
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		--	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	30.69	--	--	--	
केन्द्रीय सरकार से क्रृष्ण एवं अग्रिम	34.71		34.96	केन्द्रीय सरकार को क्रृष्ण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	28.62			51.30	

VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	-			--	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	---				400
IX - आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		32.22		412.00	IX - आकस्मिकता निधि से व्यय	32.07				194.48
X - लोक लेखा प्राप्तियाँ		21,925.45		25,954.59	X - लोक लेखा संवितरण	20,961.24				25,190.33
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,159.18		1,313.17		लघु बचत एवं भविष्य निधि	888.06			990.73	
आरक्षित निधियाँ	279.72		468.31		आरक्षित निधियाँ	183.09			472.24	
जमा एवं अग्रिम	2,359.47		3,086.84		जमा एवं अग्रिम	2,140.68			2,735.10	
उचंत एवं विविध	15,010.04		16,269.57		उचंत एवं विविध	14,531.10			16,492.77	
प्रेषण	3,117.04		4,816.69		प्रेषण	3,218.31			4,499.49	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट				XI-अन्त में रोकड़ शेष	1,945.54				2,433.41	
				कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--			--		
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 3.02			(-)3.02		
				रिजर्व बैंक में जमा	(-)5.21			558.31		
				रोकड़ शेष का नियेश व नैमित्तिक निधि के नियेश	1,953.77			1,878.12		
योग		28,225.72		33,525.05	योग	28,225.72			33,525.05	

परिशिष्ट 1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1 ; पृष्ठ 27)

31 मार्च 2014 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 को	दायित्व	31.03.2014 को
18,337.22	आन्तरिक ऋण	20,909.92
9,194.32	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	10,930.44
0.13	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.12
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
9,141.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,977.86
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
461.54	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	445.20
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
6.65	आयोजनेतर ऋण	5.97
430.19	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	438.70
0.04	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
24.13	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
200.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	600.00
4,720.34	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,042.79
1,871.49	जमा	2,223.22
1,228.09	आरक्षित निधियाँ	1,224.16
--	प्रेषण शेष	--
26,818.68	योग	30,445.29

परिवर्तित प्रारूप*

परिशिष्ट 1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2013 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2014 को
21,121.97	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	23,834.00
2,396.90	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2,676.51
17,725.07	अन्य पूँजीगत परिव्यय	21,157.49
718.21	ऋण एवं अग्रिम	940.97
76.86	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	82.12
629.70	अन्य विकास ऋण	866.68
11.65	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 7.83
97.15	आकस्मिकता निधि को विनियोग	279.63
1,441.73	प्रेषण	1,124.53
359.41	उचंत एवं विविध शेष	377.57
1,945.54	रोकड़	2,433.41
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--
(-)5.21	रिजर्व बैंक में जमा	558.31
(-)2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 2.15
(-)0.87	स्थायी अग्रिम	(-) 0.87
1,953.77	रोकड़ शेष निवेश	1,878.12
2,134.67	सरकारी लेखों में घाटा	1,455.18
1,787.00	i. चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	1,104.12
--	ii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	(-) 219.60
--	iii. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	(-) 205.03
4,546.67	iv. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घटाया	2,134.67
740.00	v. प्रोफार्मा सुधार घटाया	--
26,818.68	योग	30,445.29

*परिवर्तित प्रारूप

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पर्यांत दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। **परिशिष्ट 1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे या मूल्य द्वास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मर्दे लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लग्नित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। “रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 3.33 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

* कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित वित लेखे 2013-14 में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून की प्राप्तियों के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को संशोधित करने हेतु “पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्ष 4885-01-190” में सुधार किया। (भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पत्र सं. 143/67/UK/Acc 2/SIDCUL/2010 दिनांक 02-04-2014 के अनुसार)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 9)

2013-14 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहर
अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम / अभिकरण का प्रकार	अवमुक्त राशि
1	महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारण्टी संस्था, राज्य सरकार संस्थान	330.01
2	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद (सरकारी समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	220.43
3	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति(टी बी सी) (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	191.12
4	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता	आई आई टी रुड्की, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	150.00
5	वन तथा वन्य जीव संस्थानों को सहायता अनुदान	एफ आर आई (भारतीय वन संस्थान), आई सी एफ आर ई (सरकारी समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	138.46
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम, उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	87.61
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	75.72
8	ग्रामीण आवास (आई ए वाई)	जिला ग्रामीण विकास समिति, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	64.05
9	स्वायत्त संस्थायें एवं पेशेवर निकाय	आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान परीक्षण विज्ञान (ए आर आई ई एस), वाडिया संस्थान हिमालयन पुरातत्व (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	58.89
10	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान, ऋषिकेश (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	51.75
11	नए आई आई एम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	40.44
12	विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर से भिन्न) के लिए विशेष सहायता	सिङ्कुल, राज्य सरकार पी एस यू ज	38.17
13	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों की सहायता (एन आई टी एस) चौधरी घनी खान संस्थान को शामिल करते हुए	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	37.00
14	संसद सदस्य की स्थानीय क्षेत्र विकास की योजना	जिलाधिकारी स्थानीय निकाय	35.00
15	ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	उत्तराखण्ड ऊर्जा नवीनीकरण विकास समिति, गौतम बौद्धिमर्स, आई आई टी, रुड्की बहल पेपर मिल, ऋषि केमिकल वर्क्स (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ	34.37
16	डेस्टिनेशन एवं सर्किट का ऊपाद / संरचना	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड, वैधानिक संस्था	28.04
17	पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पी वाई के ए)	राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	24.04

18	राष्ट्रीय विकलांग संस्थान	एन आई बी एच, उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति)	19.80
19	अवसंरचना विकास के लिए योजना एफ पी आई	राज्यश्री दुर्गध उत्पाद, पतंजलि खाद्य एवं हर्बल पार्क, निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ	17.26
20	वयस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संस्थान)	15.63
21	संरक्षण एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास	वन अनुसंधान संस्थान, जी बी पंत संस्थान हिमालयन, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय एवं राज्य सरकार संस्थान	14.77
22	एस टी डी नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	14.06
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	13.46
24	अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	आई आई टी रूडकी, सी एस आई आर, यूनीवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और संवैधानिक निकाय	12.17
25	जल विद्युत परियोजनायें	जल विद्युत राजकीय संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	11.50
26	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम	डी आर डी ए (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	10.32
27	अनुसंधान एवं विकास जल स्रोत	राष्ट्रीय विद्युत जल संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	9.90
28	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए परिवृश्य समिति विभाग	एम्स ऋषिकेश, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	8.00
29	डी आर डी ए प्रशासन	डी आर डी ए, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	7.96
30	आजीविका स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	राज्य पी एम यू - एन आर एल एम (पंजीकृत समितियाँ) सरकारी स्वायत्त निकाय	7.76
31	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार संस्थान	6.84
32	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)	राज्य शहरी विकास संस्थान, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	6.54
33	एस एण्ड टी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	सी बी आर आई, आई आई टी रूडकी, आई आई पी (सी एस आई आर), ए आर आई ई एस, डब्लू.आई.एच.जी, कुमाऊँ विधवियालय इत्यादि (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और संवैधानिक निकाय	6.23
34	खरीद / फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता	दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति पंजीकृत समितियाँ, सरकारी स्वायत्त संस्थान और गैर सरकारी संस्थान	6.03
35	वनीकरण एवं वन प्रबन्ध	उत्तराखण्ड राज्य वन विकास एजेन्सी, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त संस्थान	6.01
36	अन्य		103.31
योग			1,902.65

परिशिष्ट 1.6
(संदर्भः प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)
पूर्ण लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	संस्था / विभाग	लागत	खण्ड
1	चलित अस्पताल इकाई का परिचालन एवं अनुरक्षण	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	23.40	सामाजिक
2	दून अस्पताल में एम आर आई मशीन का परिचालन एवं अनुरक्षण	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.00	सामाजिक
3	कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में नैफ्रोलोंजी डायलिसिस इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.40	सामाजिक
4	कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में कार्डिक केयर इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	17.67	सामाजिक
5	बेस अस्पताल हल्द्वानी में नैफ्रोलोंजी डायलिसिस इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.40	सामाजिक
6	108 आकस्मिक सेवा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	11.00	सामाजिक
7	पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, हरिद्वार	यू. टी. डी. बी. / पर्यटन	--	पर्यटन
8	आई एस बी टी	एम डी डी ए / आवास	20.00	परिवहन
योग			87.87	

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भःप्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

निविदाधीन लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	बागत
1	गौ अनुसंधान केन्द्र (गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान)	कृषि	पशुपालन	यू एल डी बी	7.26
2	चीनी मिलों में ऊर्जा का सहठत्पादन	कृषि	गन्ना विकास	--	60.00
3	खो- - एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	34.19
4	खो- - एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	34.85
5	सेराघाट एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	116.86
6	बीरथी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	9.19
7	बालगढ़ एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	145.40
8	पूरकुल एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	12.98
9	नयर एस एच पी और शान्तुधर-	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	173.98
10	शान्तुधर-	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	20.17
11	बयाली गाँव	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	22.95
12	संयुक्त अस्पताल रुड़की में कार्डक केयर इकाई	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	3.50
13	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	समाज कल्याण	समाज कल्याण	2.00
14	कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास	सामाजिक	आई सी डी एस	आई सी डी एस	--
15	विद्यालय हेतु शिक्षा एवं परीक्षण केन्द्र	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	निदेशालय	0.40
16	कोटद्वार डायग्नोस्टिक केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	12.00
17	पिथौरागढ़ डायग्नोस्टिक केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	12.00
18	आवासीय विद्यालय हेतु ग्रीनफील्ड योजना	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	निदेशालय	73.75
19	पाँच सौ विद्यालयों में आई.सी.टी.	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	76.00
20	प्राथमिक विद्यालय	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	1.00
21	जिला / बेस / संयुक्त अस्पताल में पी पी पी	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
22	सचल चिकित्सा वाहन का बी ओ टी (रोल आउट फेस) आधार पर संचालन	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	72.00
23	कोरोनेशन अस्पताल में फिजयोथेरेपी इकाई	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	0.16
24	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की उपस्थिति का अनुश्रवण	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	13.60

25	गौरीगाँव के रास्ते केदारनाथ यात्रा को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
26	उत्तराखण्ड में 104: टेली ट्रॉयज एवं टेली मेडिसिन की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
27	उफराइनखाल में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना	सामाजिक	ठच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	--
28	खाम गार्डन कॉम्पलेक्स, हल्द्वानी में रेस्ट्रां शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्पलेक्स का विकास	पर्यटन	पर्यटन	के एम बी एन	0.35
29	दिल्ली राजमार्ग, रुद्रपुर में रेस्ट्रां शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्पलेक्स का विकास	पर्यटन	पर्यटन	के एम बी एन	0.35
30	देहरादून - मसूरी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	786.10
31	रामबाड़ा- केदारनाथ रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई डी ई सी	70.00
32	ऋषिकेश - नीलकण्ठ रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी /यू आई डी ई	33.00
33	तिलबाड़ा रोजेन इकाई का पुर्ववास	पर्यटन	पर्यटन	जी एम बी एन	10.00
34	बोतलबन्द पेयजल एवं फल प्रसंस्करण इकाई	पर्यटन	पर्यटन	जी एम बी एन	1.00
35	ईकॉन लोग हट्स, लैंसडॉन	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	4.00
36	निरीक्षण गृहों का पुनर्विकास	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	
37	स्वचालित वाहन जाँच लेन	परिवहन	परिवहन	परिवहन	2.00
38	कर्णप्रयाग में द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण, कम्पोजिटिंग एवं रिसाईकिलिंग	शहरी	शहरी विकास	कर्णप्रयाग	0.96
गोग					1,812.00

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भःप्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

पाइपलाइन में लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	लागत
1	मृदा जाँच प्रयोगशाला	कृषि	कृषि	-	00
2	लो नि स में मार्केटिंग सेन्टर का संचालन	कृषि	कृषि		00
3	किसान सूचना केन्द्र	कृषि	कृषि		00
4	भ्रेडपालन का पुनर्वास	कृषि	पशुपालन	भ्रेड तथा ऊन बोर्ड	00
5	गन्ने के लिए टीशु कल्चर केन्द्र	कृषि	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	-	1.00
6	कम्पोस्ट प्लांट (मंडी परिषद)	कृषि	कृषि	मंडी परिषद	00
7	गौ आवास	कृषि	पशुपालन	कृषि निदेशालय	00
8	कोसी घाटी जलविद्युत परियोजना	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आई पी सी	93.00
9	खाद्य पदार्थ मूल्य चेन में लिंकिंग एवं घराट का पुर्नवास	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आर ई डी ए	14.00
10	माइक्रो जलविद्युत परियोजना एवं ग्रिड का जुड़ाव	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आर ई डी ए	7.42
11	कोलया ब्लॉक में खनन एवं ऊर्जा निर्माण के लिए जे वी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे वी एन एल	00
12	रुद्रप्रयाग हल्द्वानी मोटर रोड (राज्य मार्ग-5) का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	53.00
13	काठगोदाम-भवाली मोटर रोड (राज्य मार्ग-10) का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	35.00
14	नैनीताल से कालाङ्गी का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	100.00
15	उत्तराखण्ड में पैरामेडिकल संस्थान की संस्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
16	अस्पताल में फार्मसी की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
17	लो नि स मोड में ट्रामा सेन्टर	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
18	उत्तराखण्ड में टेली मेडिसिन की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	1.14
19	उत्तराखण्ड में लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड में आकस्मिक हवाई एम्बुलेंस सेवा	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
20	श्रीनगर में स्वास्थ्य शहर	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य	00

21	अल्मोड़ा में चिकित्सा विद्यालय	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	240.00
22	रुद्रपुर में चिकित्सा विद्यालय	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	240.00
23	बेघर बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	सामाज कल्याण	-	7.41
24	शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	सामाज कल्याण	-	2.00
25	70 स्नातक महाविद्यालयों में आई सी टी	सामाजिक	उच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	14.00
26	अंग्रेजी भाषा शिक्षा केन्द्र की स्थापना	सामाजिक	उच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	0.65
27	उत्तराखण्ड में सात स्थानों पर आई टी आई की स्थापना	सामाजिक	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	7.00
28	पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना	सामाजिक	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	00
29	नेफ्रोलॉजी सेन्टर, श्रीनगर	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	1.26
30	कार्डिक सेन्टर, श्रीनगर	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	16
31	बांझपन एवं प्रजनन केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	00
32	ऋषिकेश एकीकृत यात्रा टर्मिनल	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	00
33	राय - चकतेश्वर झील	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	00
34	बरसू - बरनाला - डयारा रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	90.00
35	मसूरी - कैम्पटी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	150.00
36	श्रीनगर -पौड़ी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	150.00
37	रानीखेत-चौवटिया रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	75.00
38	मुनस्यारी - खलियाटाप रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	75.00
39	टिहरी झील क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	5.00
40	मदन नेगी रज्जुमार्ग का संचालन एवं अनुरक्षण	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	00
41	टॉय ट्रेन	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	00
42	उत्तराखण्ड हवाई कनेक्टिविटी परियोजना	पर्यटन	नागर विमानन	यू आई पी सी	21.00
43	टनकपुर, खटीमा, लोहाघाट, काठगोदाम में 7 बस टर्मिनल का पुर्वविकास	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	87.74
44	विभिन्न स्थानों में 14 बस टर्मिनलों का पुर्वविकास	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	00

45	ड्रांइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करना	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	00
46	हरिद्वार के लिए आई एस बी टी	परिवहन	आवास	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	20.00
47	सांग डैम परियोजना	जल	सिंचाई	सिंचाई	750.00
48	कोटद्वार में बस टर्मिनल	शहरी	शहरी विकास	कोटद्वार शहरी पालिका	23.36
49	बागेश्वर में पार्किंग सह शापिंग कॉम्प्लेक्स	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी बागेश्वर	1.00
50	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, मसूरी	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी मसूरी	9.00
51	वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना	सामाजिक	सामाज कल्याण	सामाजिक	5.00
52	क्रिकेट स्टेडियम का विकास	खेल	खेल	खेल विभाग	00
53	महाराण प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में आइस स्केटिंग रिंग का संचालन एवं अनुरक्षण	खेल	खेल	खेल विभाग	16.00
54	मेहूवाला एवं पिथूवाला परियोजना के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	जल	शहरी विकास	पेयजल निगम	8.37
55	नैनीताल में सिनेमा हॉल सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी, नैनीताल	7.54
56	ट्रान्सपोर्ट शहरी में कॉमर्शियल हब	शहरी	शहरी विकास	शहरी निगम हल्द्वानी	00
57	वशी, नवी मुम्बई में गेस्ट हाउस सह एम्पोरियम बिल्डिंग	पर्यटन	सम्पदा	सम्पदा	100.00
योग					2,426.89

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भः प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

निरस्त लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	लागत
1	जापानी क्वैल के लिए हैचरी एवं क्लीनिंग यूनिट	कृषि	पशुपालन	कुकुटपालन बोर्ड	--
2	बागवानी विभाग की उद्यान व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्यक्रम प्रबन्धन	कृषि	बागवानी	--	--
3	चार स्थानों में फल प्रसंस्करण का विकास	कृषि	बागवानी	--	--
4	बीजापुर (टोन्स) घाटी ऊर्जा परियोजना	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आई पी सी	13.04
5	कॉल सेन्टर	आई टी	आई टी	हिल्ट्रान	--
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	आई टी	आई टी	हिल्ट्रान	--
7	आई टी आई	सामाजिक	समाज कल्याण	--	5.00
8	वृद्धावस्था आश्रम	सामाजिक	समाज कल्याण	--	--
9	देहरादून एवं हरिद्वार से हिन्डन एक्सप्रेस वे का सम्पर्क	सड़क	लो नि वि	--	700.00
10	लो नि स में कोटद्वार फलश दून इकाई का पुर्नवास	पर्यटन	पर्यटन	जी एम वी एन	5.00
11	गंगोत्री पार्किंग लॉट्स	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी वी	--
12	सैनिक विश्राम गृह	पर्यटन	समाज कल्याण	समाज कल्याण	--
13	दून हॉट	शहरी	आवास	एम डी डी ए	59.45
14	मसूरी मिनी रेल	शहरी	शहरी विकास	मसूरी शहरी पालिका परिषद	--
15	मसूरी झूलाघर सौन्दर्यकरण	शहरी	शहरी विकास	मसूरी शहरी पालिका परिषद	--
16	मसूरी में होटल एवं बहुउद्देशी कक्ष	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी मसूरी	--
17	ट्रान्सपोर्ट नगर में एकीकृत व्यवसायिक केन्द्र	शहरी	आवास	एम डी डी ए / यू आई डी ई सी	36.83
18	सिटी सेन्टर माजरा	शहरी	आवास	एम डी डी ए / यू आई डी ई सी	35.00
19	हरिद्वार में हेल्थ सिटी	शहरी	आवास	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	312.00
योग					1,166.32

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भः प्रस्तर 1.8.4; पृष्ठ 25)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	ग्राहित लागत पर ब्लॉक परिसम्पत्तियाँ	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य ग्राह	व्यापार	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर व्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुडकी	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वाली	2002-03	--	58.25	6.64	19,644.70	(-) 1,873.25	--	(-) 1,873.25	--
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	--	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,797.44	--	(-) 1,797.44	--

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता र एक करोड़ से अधिक या
कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	48.65	1.13	2.32
2.	04	न्याय प्रशासन	1,36.90	36.52	26.68
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	24,00.36	14,66.73	61.10
4.	07	वित्, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	31,86.72	1,16.17	3.65
5.	08	आबकारी	13.07	2.02	15.46
6.	10	पुलिस एवं कारागार	9,58.97	23.71	2.47
7.	11	शिक्षा, खेलकूट, युवा कल्याण एवं संस्कृति	46,16.87	6,35.48	13.76
8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,69.36	1,16.11	11.98
9.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	8,18.47	3,08.25	37.66
10.	14	सूचना	49.28	1.16	2.35
11.	15	कल्याण	7,92.80	1,78.11	22.47
12.	16	श्रम एवं रोजगार	1,46.02	28.70	19.65
13.	17	कृषि कार्य एवं शोध	4,95.47	1,86.93	37.73
14.	18	सहकारिता	44.31	8.53	19.25
15.	19	ग्राम्य विकास	4,92.35	1,79.22	36.40
16.	20	सिंचाई व बाढ़	3,63.35	36.48	10.04
17.	22	लोक निर्माण	5,86.43	95.65	16.31
18.	23	उद्योग	92.16	20.89	22.67
19.	24	परिवहन	45.62	3.22	7.06
20.	25	खाद्य	2,53.32	2,26.55	89.43
21.	26	पर्यटन	69.90	13.43	19.21
22.	27	वन	4,01.78	31.00	7.72
23.	28	पशुपालन	1,60.62	24.93	15.52
24.	29	उद्यान विकास	1,57.57	40.87	25.94
25.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	6,47.90	2,10.00	32.41
26.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,91.49	58.99	30.81
योग			1,81,39.74	40,50.78	22.33
राजस्व-भारित					
1.	04	न्याय प्रशासन	26.25	5.52	21.03
2.	07	वित्, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	27,02.85	6,46.03	23.90

3.	09	लोक सेवा आयोग	11.28	2.40	21.28
4.	22	लोक निर्माण	4.33	1.75	40.42
योग			27,44.71	6,55.70	23.89
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	48.20	22.00	45.64
2.	04	न्याय प्रशासन	25.00	7.94	31.76
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	27.00	13.78	51.04
4.	07	वित, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	5,29.53	40.81	7.71
5.	10	पुलिस एवं कारागार	1,05.40	46.89	44.49
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	4,73.63	1,84.55	38.97
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,31.17	1,88.14	56.81
8.	13	जलपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,99.65	2,75.08	55.05
9.	15	कल्याण	32.56	6.75	20.73
10.	16	श्रम एवं रोजगार	5.00	1.54	30.80
11.	17	कृषि कार्य एवं शोध	9,18.01	6,73.13	73.33
12.	19	ग्राम्य विकास	3,00.69	62.82	20.89
13.	20	सिंचाई व बाढ़	11,00.96	6,09.30	55.34
14.	21	ऊर्जा	6,19.94	3,25.76	52.55
15.	23	उद्योग	37.62	28.21	74.99
16.	24	परिवहन	1,22.90	95.18	77.45
17.	26	पर्यटन	78.09	47.68	61.06
18.	27	वन	67.81	18.82	27.75
19.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,41.26	3,00.94	55.60
20.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,40.39	81.60	58.12
योग			60,04.81	30,30.92	50.47
पूँजीगत-भारित					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1.00	1.00	100
2.	07	वित, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	21,52.79	6,70.67	31.15
3.	09	लोक सेवा आयोग	4.00	4.00	100
योग			21,57.79	6,75.67	31.31
महा योग			2,90,47.05	84,13.07	28.96

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 43)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्याधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्याधिक्य	व्याधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूँजीगत(दत्तमत)						
1.	22	लोक निर्माण	9,97.91	10,54.50	56.59	5.67
2.	25	खाद्य	33.50	18,09.06	17,75.56	5300.18
3.	29	उद्यान विकास	00	5.00	5.00	अगणनीय
योग			10,31.41	28,68.56	18,37.15	178.12

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भःप्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 44)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	10 पुलिस एवं कारागार	9,36.14	9,35.26	0.88	22.83
2.	11 शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	45,32.73	39,81.39	551.34	84.14
3.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,41.22	8,53.26	87.96	28.14
4.	13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,24.23	5,10.22	1,14.01	1,94.24
5.	15 कल्याण	7,63.60	6,14.68	1,48.92	29.19
6.	17 कृषि कार्य एवं शोध	4,08.81	3,08.54	1,00.27	86.66
7.	25 खाद्य	2,36.76	26.77	2,09.99	16.56
8.	27 वन	3,76.02	3,70.78	5.24	25.76
9.	28 पशुपालन	1,41.24	1,35.70	5.54	19.38
10.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,59.47	4,37.89	1,21.58	88.42
11.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	1,61.56	1,32.50	29.06	29.93
कुल राजस्व (दत्तमत)		96,81.78	8306.99	13,74.79	6,25.25
ग- पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	11 शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,03.32	2,89.08	14.24	1,70.31
2.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,14.69	1,43.03	1,71.66	16.48
3.	13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,63.65	2,24.57	2,39.08	36.00
4.	17 कृषि	7,46.51	2,44.88	5,01.63	1,71.50
5.	20 सिंचाई एवं बाढ़	6,58.80	4,91.66	1,67.14	4,42.16
6.	21 ऊर्जा	5,97.44	2,94.18	3,03.26	22.50
7.	24 परिवहन	69.90	27.72	42.18	53.00
8.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,87.21	2,40.31	1,46.90	1,54.04
9.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	86.03	58.79	27.24	54.36
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		36,27.55	20,14.22	16,13.33	11,20.35
महा योग		1,33,09.33	1,03,21.21	29,88.12	17,45.60

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 45)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्यास सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	7,64.20	2,33.71	9,97.91	10,54.50	56.59
2.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	3.50	30.00	33.50	18,09.06	17,75.56
योग			7,67.70	2,63.71	10,31.41	28,63.56	18,32.15

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 45)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का
अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	दत्तमत / भारित	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	03	मंत्री परिषद	दत्तमत	2013-00-108-03	(+)15.16	(+)14.23
			दत्तमत	2013-00-800-03	(+)35.71	(-)1,05.25
2.	04	न्याय प्रशासन	दत्तमत	2014-00-105-03	(-)24.00	(-)15,40.38
			दत्तमत	2014-00-105-04	(+)22.00	(-)1,28.86
			दत्तमत	2014-00-108-03	(+)36.00	(-)1,66.47
3.	05	चुनाव	दत्तमत	2015-00-103-05	(+)31.69	(-)53.98
			दत्तमत	2015-00-105-03	(-)7.00	(-)12.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	दत्तमत	2070-00-107-04	(+)8.00	(-)1,56.89
			दत्तमत	2245-80-800-08	(+)12.76	(-)32.05
5.	07	वित, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	दत्तमत	2030-01-102-03	(-)35.00	(+)67.44
			दत्तमत	2040-00-001-03	(+)60.00	(-)2,06.34
			दत्तमत	2040-00-800-05	(-)60.00	(-)45.62
			दत्तमत	3604-01-191-01	(+)3,88.10	(-)20,80.90
			दत्तमत	3604-01-191-03	(+)30,00.00	(-)5,31.12
			दत्तमत	3604-01-192-01	(+)3,88.10	(-)25,79.93
			दत्तमत	3604-01-192-03	(-)42,44.00	(-)15,03.02
			दत्तमत	3604-01-193-04	(+)12,44.00	(-)10,27.26
6.	10	पुलिस एवं कारागार	दत्तमत	2055-00-003-04	(-)2,48.16	(-)2,69.64
			दत्तमत	2055-00-111-03	(-)22.01	(-)2,39.10
			दत्तमत	2056-00-001-03	(-)1,50.00	(-)3,85.50
			दत्तमत	2055-00-104-04	(+)71.60	(-)29.19
			दत्तमत	2055-00-109-03	(+)64.50	(+)11,79.96
			दत्तमत	2055-00-109-04	(+)12.60	(+)3,37.93
			दत्तमत	2055-00-800-04	(-)5,01.66	(+)7,33.63
			दत्तमत	2056-00-001-04	(+)1,50.00	(-)17.73
7.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	दत्तमत	2202-01-001-04	(-)5,95.68	(-)1,50,50.96
			दत्तमत	2202-01-104-03	(+)5.68	(-)391.45
			दत्तमत	2202-02-101-03	(-)71.00	(-)5,15.15
			दत्तमत	2202-02-101-04	(+)2,60.00	(-)4,47.03
			दत्तमत	2202-02-109-03	(-)3,14.50	(-)1,71,98.51
			दत्तमत	2202-02-800-01	(-)2,00.00	(-)1,04,17.02

			दत्तमत	2203-00-800-97	(-)6,00.00	(-)12,86.92
			दत्तमत	2204-00-104-13	(-)37.43	(-)19.92
			दत्तमत	2205-00-101-03	(-)13.48	(-)26.12
			दत्तमत	2205-00-101-12	(-)13.14	(-)17.71
			दत्तमत	2205-00-107-03	(+)3.10	(-)18.73
			दत्तमत	2202-01-102-18	(+)3,00.00	(-)2,04.99
			दत्तमत	2205-00-001-03	(+)1,09.76	(-)22.73
			दत्तमत	4202-01-202-16	(-)8,07.11	(-)8,86.18
			दत्तमत	4202-04-106-01	(-)30.00	(-)3,33.00
			दत्तमत	4202-02-104-03	(+)6,50.00	(+)46.68
8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	दत्तमत	2210-01-110-18	(+)7.00	(-)1,84.47
			दत्तमत	2210-03-104-03	(-)2,84.00	(-)7,45.21
			दत्तमत	2210-03-110-06	(-)55.00	(-)1,26.39
			दत्तमत	2210-03-110-17	(-)4,95.00	(-)4,32.60
			दत्तमत	2210-04-102-03	(-)57.50	(-)1,10.44
			दत्तमत	2210-05-105-03	(+)6.75	(-)91.34
			दत्तमत	2210-05-105-05	(-)6.75	(-)4,37.12
			दत्तमत	2201-06-003-03	(+)3.00	(-)48.94
			दत्तमत	2210-06-101-03	(-)75.00	(-)3,20.13
			दत्तमत	2210-06-101-04	(-)60.00	(-)1,36.75
			दत्तमत	2210-06-101-05	(-)19.33	(-)4,04.26
			दत्तमत	2210-06-104-03	(+)3.00	(-)35.05
			दत्तमत	2210-06-107-03	(-)1.00	(-)25.71
			दत्तमत	2211-00-001-01	(-)7.70	(-)1,77.87
			दत्तमत	2211-00-003-01	(-)30.00	(-)34.78
			दत्तमत	2210-01-110-14	(+)30.00	(-)10.36
			दत्तमत	2210-02-102-04	(+)57.50	(-)44.03
			दत्तमत	4210-01-110-14	(-)1,00.00	(-)92.63
9.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	दत्तमत	2215-01-102-97	(-)78.30	(-)1,42,21.70
			दत्तमत	2215-02-105-01	(-)5,68.00	(-)57,37.33
			दत्तमत	2217-03-001-06	(-)7.71	(-)54.60
10.	14	सूचना	दत्तमत	2220-60-102-03	(+)3.34	(-)21.80
			दत्तमत	2220-60-106-03	(-)0.34	(-)47.28
			दत्तमत	2220-60-001-03	(+)16.16	(-)10.00
11.	15	कल्याण	दत्तमत	2225-01-001-05	(-)64.24	(-)44.59
			दत्तमत	2235-02-101-11	(+)2.84	(-)15.24
			दत्तमत	2235-02-102-06	(-)20.00	(-)1,55.31
			दत्तमत	2235-02-102-07	(-)64.50	(-)82.96
			दत्तमत	2235-02-103-19	(-)5.59	(-)35.61

			दत्तमत	2251-00-092-05	(-)0.90	(-)13.71
12.	19	ग्राम्य विकास	दत्तमत	2515-00-800-07	(-)12.10	(-)6,54.74
			दत्तमत	2515-00-800-08	(-)4.27	(-)21,28.15
			दत्तमत	4515-00-102-09	(-)50.00	(-)24,50.52
13.	20	सिंचाई एवं बाढ़	दत्तमत	2700-00-001-04	(-)42,45.09	(+)14,12.81
			दत्तमत	2702-03-103-03	(+)20,00.00	(-)9,99.34
			दत्तमत	2702-80-800-91	(+)1.17	(+)70.00
			दत्तमत	4700-06-800-02	(+)13,12.79	(+)83.96
			दत्तमत	4700-07-800-02	(+)1,82.12	(+)188.33
			दत्तमत	4711-01-103-03	(+)28,00.00	(-)1,25.36
14.	21	ऊर्जा	दत्तमत	4801-01-190-97	(-)1.49	(-)1,71.09
15.	22	लोक निर्माण	दत्तमत	2059-80-001-03	(-)5,00.00	(-)1,03.77
			दत्तमत	2059-80-051-03	(-)3,00.00	(-)32,62.94
			दत्तमत	3054-04-337-03	(+)26,99.50	(+)23,91.56
			दत्तमत	5054-04-800-03	(+)1,04,70.00	(+)1,04,70.55
			दत्तमत	5054-04-800-05	(+)8,00.00	(+)8,86.06
			दत्तमत	4059-04-800-97	(-)1,12,70.00	(-)1,12,31.80
16.	24	परिवहन	दत्तमत	3055-00-190-06	(-)48.10	(-)91.98
17.	25	खाद्य	दत्तमत	2408-01-001-03	(-)55.80	(-)8,53.43
			दत्तमत	3456-00-001-04	(+)55.80	(-)41.10
18.	26	पर्यटन	दत्तमत	5452-80-104-04	(+)2,69.86	(-)1,08.53
19.	28	पशुपालन	दत्तमत	2403-00-101-01	(+)39.65	(-)99.40
			दत्तमत	2403-00-107-01	(-)39.65	(-)4,74.47
20.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	दत्तमत	2225-01-001-08	(-)6.00	(-)13.45
			दत्तमत	2225-01-277-06	(-)72.33	(-)31.08
			दत्तमत	2403-00-107-01	(-)6.86	(-)90.00
			दत्तमत	2225-01-277-03	(+)30.62	(-)16.33
21.	31	अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	दत्तमत	2225-02-277-03	(-)8.12	(-)22.02
			दत्तमत	2225-02-277-04	(-)80.33	(-)75.05
			दत्तमत	2225-02-800-15	(+)1.06	(-)29.38
			दत्तमत	5054-04-796-97	(-)13,50.00	(-)5,05.81
			दत्तमत	5054-04-796-02	(+)13,00.00	(-)8,82.10

परिशिष्ट 2.6
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 45)
वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल अनुदान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का प्रतिशत
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2070-00-104-04	5,34.82	5,05.29	94.48
		2070-00-105-03	43.22	27.77	64.25
2.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विधिध सेवाएँ	2030-01-102-03	1,00.00	52.03	52.03
		2030-02-101-03	10,00.00	6,06.17	60.62
		2052-00-090-08	20.00	18.62	93.10
		2052-00-090-11	43.31	32.58	75.23
		3451-00-092-04	2,00.00	1,67.97	83.99
		2030-01-101-03	50.00	50.00	1,00.00
		4216-02-800-03	4,00.00	3,01.50	75.38
3.	10- पुलिस एवं कारागार	2055-00-800-23	5,04.00	2,56.32	50.86
		4055-00-211-06	1,50.00	1,00.00	66.67
4.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-05-001-03	68.60	39.99	58.29
		2202-05-103-06	69.95	35.54	50.81
		2202-05-103-08	1,20.73	1,01.21	83.83
		2204-00-001-05	80.00	60.16	75.20
		4202-03-102-15	1,00.00	70.00	70.00
		4202-03-102-16	1,00.00	98.83	98.83
5.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2217-03-191-01	31,60.00	26,31.48	83.27
		2217-03-191-03	13,90.01	12,21.53	87.88
		4217-03-800-01	1,59,65.00	1,35,06.52	84.60
6.	17- कृषि कार्य एवं शोध	2401-00-102-01	21,16.01	20,90.44	98.79
		2401-00-110-01	6,00.00	5,81.95	96.99
		2401-00-800-97	42,79.18	21,30.57	49.79
7.	18- सहकारिता	2425-00-001-06	48.68	38.99	80.09
		2425-00-800-04	2,50.00	1,77.93	71.17
8.	20- सिंचाई एवं बाढ़	2702-80-800-03	28.99	15.09	52.05
		4700-03-800-02	30.00	20.83	69.43
9.	21- ऊर्जा	2801-05-800-03	11.46	6.00	52.36
		6801-01-190-97	30,44.00	20,18.00	66.29
		6801-05-190-97	1,25,00.00	1,12,11.87	89.69
10.	23- उद्योग	4859-02-800-01	28,04.00	26,04.00	92.87
		4859-02-800-10	2,00.00	2,00.00	100
11.	24-परिवहन	5053-02-800-08	20.00	19.54	97.70
12.	28- पशुपालन	2405-00-190-01	28.00	14.11	50.39

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		2405-00-800-01	45.00	42.98	95.51
13.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-10	21.84	11.11	50.87
		2401-00-119-18	25.00	13.16	52.64
14.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2217-03-191-01	7,20.00	5,99.57	83.27
		4702-00-800-02	1,82.50	1,16.44	63.80
		6801-05-190-97	14,10.00	11,16.50	79.18
15.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2217-03-191-01	1,23.00	1,02.94	83.69
		4217-03-800-01	1,05.00	86.85	82.71
		4702-00-796-02	49.50	45.33	91.58
योग			5,27,41.80	4,31,47.71	81.81

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 45)

वास्तविक बचतों (₹ 50 लाख या अधिक) के आधिक्य से अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	04-विधान मण्डल	20.63	0.90	0.91	0.01
2.	20-सिंचाई एवं बाढ़	3,63.35	36.48	47.99	11.51
पूँजीगत -दत्तमत					
3.	20-सिंचाई एवं बाढ़	11,00.96	6,09.30	6,66.07	56.77
योग		14,84.94	6,46.68	7,14.97	68.29

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत	
1.	01	विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	48.20	26.20	22.00	
2.	04	न्याय प्रशासन (राजस्व- दत्तमत)	1,36.90	1,00.38	36.52	
		न्याय प्रशासन (राजस्व -भारित)	26.25	20.73	5.52	
		न्याय प्रशासन (पूँजीगत- दत्तमत)	25.00	17.06	7.94	
3.	07	वित, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	27,02.85	20,56.82	6,46.03	
		वित, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-भारित)	21,52.79	14,82.12	6,70.67	
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	9,69.36	8,53.26	1,16.11	
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	3,31.17	1,43.03	1,88.14	
5.	15	कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	7,92.80	6,14.68	1,78.11	
		कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	32.56	25.80	6.76	
6.	19	ग्राम्य विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	3,00.69	2,37.87	62.82	
7.	22	लोक निर्माण(राजस्व- दत्तमत)	5,86.43	4,90.77	95.66	
8.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,53.32	26.77	2,26.55	
9.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	69.90	56.47	13.43	
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	78.09	30.41	47.68	
10.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	4,01.78	3,70.78	31.00	
		वन (पूँजीगत-दत्तमत)	67.81	48.99	18.82	
			योग	89,75.90	66,02.14	
					23,73.76	

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
राजस्व -दत्तमत				
1.	04-न्याय प्रशासन	36.52	00	36.52
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1466.73	36.62	1430.11
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	116.17	20.82	95.35
4.	08- आबकारी	2.02	00	2.02
5.	10- पुलिस एवं कारागार	23.71	19.55	4.16
6.	11-शिक्षा, खेल-कूट, युवा कल्याण एवं संस्कृति	635.48	6.00	629.48
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.11	00	116.11
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	308.25	210.88	97.37
9.	14- सूचना	1.16	00	1.16
10.	15-कल्याण	178.11	00	178.11
11.	16-श्रम एवं रोजगार	28.70	4.92	23.78
12.	17-कृषि कार्य एवं शोध	186.93	176.31	10.62
13.	19-ग्राम्य विकास	179.22	1.03	178.19
14.	22-लोक निर्माण	95.65	00	95.65
15.	23- उद्योग	20.89	3.01	17.88
16.	24-परिवहन	3.22	0.64	2.58
17.	25- खाद्य	226.55	00	226.55
18.	26- पर्यटन	13.43	00	13.43
19.	27- वन	31.00	00	31.00
20.	28-पशुपालन	24.93	10.89	14.04
21.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.01	58.31	151.70
22.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	58.99	15.69	43.30
		योग	3963.78	564.67
				3399.11
राजस्व-भारित				
23.	04-न्याय प्रशासन	5.52	00	5.52
24.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	646.03	00	646.03
25.	09 – लोक सेवा आयोग	2.40	00	2.40
26.	22-लोक निर्माण	1.75	00	1.75
		योग	655.70	00
				655.70
पूँजीगत-दत्तमत				
27.	01- विधान मण्डल	22.00	00	22.00
28.	04-न्याय प्रशासन	7.94	00	7.94

29.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	13.78	0.52	13.26
30.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	40.81	4.02	36.79
31.	10- पुलिस एवं कारागार	46.89	45.39	1.50
32.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	184.55	2.19	182.36
33.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	188.14	00	188.14
34.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	275.08	249.99	25.09
35.	14- सूचना	00	00	00
36.	15-कल्याण	6.75	00	6.75
37.	16-श्रम एवं रोजगार	1.54	00	1.54
38.	17-कृषि कार्य एवं शोध	673.13	1.04	672.09
39.	19-ग्राम्य विकास	62.82	00	62.82
40.	21- ऊर्जा	325.76	323.24	2.52
41.	24-परिवहन	95.18	43.20	51.98
42.	26- पर्यटन	47.68	00	47.68
43.	27- बन	18.82	00	18.82
44.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	300.94	116.23	184.71
45.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	81.60	37.22	44.38
योग		2393.41	823.04	1570.37

पूँजीगत- भारित

46.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1.00	00	1.00
47.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	670.67	00	670.67
48.	09 – लोक सेवा आयोग	4.00	00	4.00
योग		675.67	00	675.67
महायोग		7688.56	1387.71	6300.85

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

30/31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	6	2029-भू-राजस्व (राजस्व-दत्तमत)	18.94	12.38
		2053-जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	11.28	12.03
2.	7	2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण (राजस्व-दत्तमत)	11.61	34.49
3.	10	2055-पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	19.56	2.11
		4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	45.39	47.58
4.	13	2217-शहरी विकास (राजस्व-दत्तमत)	2,24.12	80.36
		4215-जलापूर्ति एवं सेनीटेशन पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	13.24	9.81
		4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	2,36.74	64.92
5.	17	2401-फसल कृषि कर्म (राजस्व-दत्तमत)	1,76.31	50.81
6.	20	2700-मुख्य सिंचाई (राजस्व-दत्तमत)	63.86	22.81
		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,30.99	31.68
		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	2,19.06	51.22
		4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,68.49	65.80
7.	21	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,85.86	42.29
8.		6801-ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,37.39	76.14
9.	23	4859-दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	28.04	76.38
10.	29	2401- फसल कृषि कर्म (राजस्व-दत्तमत)	40.59	25.76
11.	30	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	78.40	94.36
12.		6801-ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	11.17	58.48
13.	31	2217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (राजस्व-दत्तमत)	11.64	70.72
			योग	18,32.68
				38.67

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ 46)

व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/ सेवा	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1.	2015	5.96	4.16	11.39	52.33	36.52
2.	2030	11.90	8.56	19.97	59.59	42.86
3.	2203	76.76	65.19	1,32.15	58.09	49.33
4.	2217	46.35	40.60	68.06	68.10	59.65
5.	2245	4,19.99	3,05.88	6,70.30	62.66	45.63
6.	2250	20.34	14.82	38.48	52.86	38.51
7.	2701	5.17	3.93	10.00	51.70	39.30
8.	3054	1,25.49	110.10	1,82.58	68.73	60.30
9.	4055	44.65	40.08	49.01	91.10	81.78
10.	4059	64.98	31.14	88.84	73.14	35.05
11.	4202	2,32.49	2,08.19	3,06.96	75.74	67.82
12.	4210	1,21.16	1,12.54	1,43.53	84.41	78.41
13.	4216	29.86	28.19	36.94	80.83	76.31
14.	4217	86.54	67.84	1,49.22	57.99	45.46
15.	4225	59.99	45.22	78.43	76.49	57.66
16.	4235	13.41	13.41	14.15	94.77	94.77
17.	4401	17.61	14.70	10.82	162.75	135.86
18.	4406	25.82	14.15	49.93	51.71	28.34
19.	4700	1,65.75	87.99	2,97.85	55.65	29.54
20.	4702	50.34	48.22	72.97	68.99	66.08
21.	4711	49.25	34.05	88.06	55.93	38.67
22.	4859	6.28	6.28	8.66	72.52	72.52
23.	4885	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00
24.	5053	15.50	15.50	15.50	100.00	100.00
25.	5452	18.70	12.81	32.41	57.70	39.52
26.	6004	35.12	2.85	51.30	68.46	5.56
27.	6401	1,80.40	1,80.40	2,10.40	85.74	85.74
28.	7055	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
योग		19,65.81	15,52.80	28,73.91	68.40	54.03

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.13; पृष्ठ 47)

वर्ष के अन्त में जमा खाते में स्थानान्तरित की गयी निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष/विभाग का नाम (खाता धारक)	निधि स्थानान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष)	कहाँ पर स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में स्थानान्तरण
2011-12				
निदेशक कृषि, देहरादून	31मार्च 2012	2401-00-800-01	8443-00-800	78.70
			योग	78.70
2012-13				
नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून	30 मार्च 2013	5053-02-800-99	8443-00-800	62.00
			योग	62.00
2013-14				
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड, के.वी.आई.बी. देहरादून	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	2.40
वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम, देहरादून,	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	10.00
जिलाधिकारी, देहरादून	29 मार्च 2014	4250-00-800-09	8443-00-800	1.34
	30 मार्च 2014	4202-02-105-(7 से11)	8443-00-800	23.61
	31 मार्च 2014	नकद चालान 4202-03-102- (18,01,20)	8443-00-800	26.00 16.52
			योग	79.87
			महायोग	2,20.57

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1.2; पृष्ठ 48)

2011-14 के दौरान निरन्तर बचत

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1	2700 मुख्य सिंचाई 00 001 निर्देशन एवं प्रशासन 05 आकस्मिक श्रमिकों के लिए एक मुश्त प्रबन्ध	2011-12	31,00.00	29,89.87	1,10.13	3.55
		2012-13	20,90.00	16,30.02	4,59.98	22.01
		2013-14	16,00.00	14,05.17	1,94.83	12.18
2	2701 मध्यम सिंचाई 15 आवासीय / अनावासीय भवनों का निवारण 101 अनुरक्षण एवं मरम्मत 02 अन्य अनुरक्षण व्यय	2011-12	25.00	00	25.00	100
		2012-13	25.00	00	25.00	100
		2013-14	5.00	00	5.00	100
पूँजीगत-दत्तमत						
3	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 01 जमरानी बांध 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	2011-12	00	00	00	00
		2012-13	45.00	00	45.00	100
		2013-14	10.00	00	10.00	100
4	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 03 सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं के अनुबंधों अन्तग्रस्त देय डिक्रीट राशियों के भुगतान हेतु 800 अन्य व्यय 02 अनुरक्षण व्यय	2011-12	30.00	5.04	24.96	83.20
		2012-13	30.00	7.47	22.53	75.10
		2013-14	30.00	9.17	20.83	69.43
5	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 05 सिंचाई विभाग की नई योजनाएं 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (ए आई बी पी-सामान्य)	2011-12	1,29,82.55	82,33.66	47,48.89	36.58
		2012-13	1,39,69.59	63,47.67	76,21.92	54.56
		2013-14	1,09,28.75	29,63.59	79,65.16	72.88
6	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 005 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (किसाऊ बांध को समिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य	2011-12	100.00	26.72	73.28	73.28
		2012-13	70.00	10.60	59.40	84.86
		2013-14	50.00	35.04	14.96	29.92
7	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 103 सिविल कार्य 06 परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थान का उन्नतीकरण 03 निर्माण कार्य	2011-12	15.00	00	15.00	100
		2012-13	15.00	00	15.00	100
		2013-14	5.00	00	5.00	100

8	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 190 सरकारी तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 उत्तराखण्ड विकासात्मक परियोजना एवं लोक निर्माण को अंशपूँजी	2011-12	1,00.00	1,00.00	00	00
		2012-13	1,00.00	00	1,00.00	100
		2013-14	1,00.00	00	1,00.00	100
9	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 03 जल जलाशय का निर्माण	2011-12	4,50.00	2,15.78	2,34.22	52.05
		2012-13	70.00	00	70.00	100
		2013-14	70.00	00	70.00	100
10	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल कार्य 01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	2011-12	75,99.33	11,02.84	64,96.49	85.49
		2012-13	80,00.00	15,51.53	64,48.47	80.61
		2013-14	2,26,04.50	43,64.85	1,82,39.65	80.69
11	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01 बाढ़ नियन्त्रण 103 सिविल कार्य 03-अनपेक्षित आपातकालीन कार्य, नदी में सुधार एवं कटाव	2011-12	5,52.45	4,73.24	79.21	14.34
		2012-13	26,00.00	22,89.55	3,10.45	11.94
		2013-14	58,00.00	43,90.66	14,09.34	24.30

स्रोत: विभागीय अॉफिस

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1.4; पृष्ठ 49)

व्यय की तीव्रता

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	कुल व्यय	दिसम्बर 2013 तक व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	मार्च में व्यय	दिसम्बर 2013 तक कुल व्यय की प्रतिशतता	जनवरी से मार्च तक व्यय की प्रतिशतता	केवल मार्च में व्यय की प्रतिशतता
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-04- नलकूपों का निर्माण	13,47.76	5,17.14	8,30.62	5,03.45	38.37	61.63	37.35
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें	42,04.86	19,06.39	22,98.47	16,63.01	45.34	54.66	39.55
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरुद्धार-800- अन्य व्यय-02-अन्य अनुरक्षण व्यय	5,32.12	2,92.97	2,39.15	1,52.81	55.06	44.94	28.72
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जमरानी बाँध	50.00	19.94	30.06	13.40	39.88	60.12	26.80
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-00-052-मशीनरी एवं उपकरण	6.84	00	6.84	6.84	00	100.00	100.00
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण	24.95	00	24.95	24.95	00	100.00	100.00
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-निरीक्षण भवनों का निर्माण	50.00	00	50.00	50.00	00	100.00	100.00
2711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास-01-बाढ़ नियन्त्रण-03-सिविल निर्माण कार्य	5,90.02	2,11.75	3,78.27	3,27.51	35.89	64.11	55.51
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-18-पुलों का आधुनिकरण पुनर्निर्माण-800-अन्य व्यय-02-अन्य अनुरक्षण व्यय	12,00.00	1,66.58	10,33.42	8,02.00	13.88	86.12	66.83
4711-बाढ़ नियन्त्रण पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल कार्य-01-केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ	43,64.84	26,04.05	17,60.80	17,00.27	59.66	40.34	38.95
योग	1,23,71.39	57,18.82	66,52.58	52,44.24	46.23	53.77	42.39

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6.; पृष्ठ 51)

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रतिपूर्ति न किये गये आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	पुर्णविनियोग / अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिक ता निधि से अग्रिम
1.	03-मंत्री-परीषद	2013	48.65	(-)0.22	48.43	47.51	1.52
2.	04-न्याय प्रशासन	2014	1,36.90	00	1,36.90	1,00.38	0.14
3.	10- पुलिस एवं कारागार	2055	9,28.22	(-)19.56	9,08.66	9,08.55	0.79
4.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202	43,83.01	(-)3.28	43,79.73	37,93.87	0.03
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	8,75.02	00	8,75.02	7,64.47	0.25
6.	14- सूचना	2220	49.28	00	49.28	48.12	0.09
7.	15-कल्याण	2225	36.14	(-)0.63	35.51	24.69	
		2235	6,81.03	(+)0.42	6,81.45	5,51.32	
		2250	75.27	00	75.27	38.48	
							54.72
8.	16-श्रम एवं रोजगार	2230	1,19.51	00	1,19.51	95.99	0.08
9.	19-ग्राम्य विकास	2515	4,07.08	(-)1.03	4,06.05	2,63.82	1.95
10.	22-लोक निर्माण	5054	9,93.71	00	9,93.71	10,54.50	
		2059	3,50.83	(-)8.00	3,42.83	3,06.51	1,05.00
11.	23- उद्योग	2853	15.11	00	15.11	5.10	3.86
12.	24-परिवहन	5055	54.20	00	54.20	2.21	0.28
13.	25- खाद्य	2408	2,44.44	(-)0.56	2,43.88	21.35	0.07
14.	26- पर्यटन	5452	78.09	00	78.09	30.41	2.10
15.	28-पशुपालन	2403	1,31.79	(-)0.19	1,31.60	1,17.75	1.23*
16.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2225	1,70.50	(-)1.14	1,69.36	1,61.03	
		2235	1,44.16	(+)1.14	1,45.30	99.79	
17.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2225	80.02	00	80.02	66.15	
		2235	32.98	00	32.98	25.34	4.07
योग			1,00,35.94	(-)33.05	1,00,02.89	85,27.34	1,94.48

स्रोत: -महालेखाकार (ले.एवं ह.) उत्तराखण्ड के वी.एल.सी. डाटा से संकलित सूचना

* 8 जुलाई 2014 (2014-15) को प्रतिपूर्ति

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 51)

अनुदानों एवं मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत आकस्मिक निधि में वर्षवार प्रतिपूर्ति न की गयी निधियाँ

(₹ लाख में)

अनुदान सं.	मुख्यशीर्ष	प्रतिपूर्ति ना हुई आकस्मिक निधि											
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
3	2013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99.99	99.99
6	2029	--	--	7.57	0.50	1.03	--	--	4.67	21.55	--	--	35.32
6	2053	--	--	--	45.84	--	--	--	--	--	--	--	45.84
6	2070	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.20	0.20
7	2040	--	8.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.56
7	4515	--	--	--	--	--	2,58.19	--	--	37.90	--	--	2,96.09
12	2210	--	10.19	--	--	--	--	--	2,78.35	--	--	--	2,88.54
12	4210	--	--	--	50.00	80.00	--	--	--	--	--	--	1,30.00
13	2217	--	--	--	--	--	--	--	--	35.00	--	--	35.00
15	2235	--	--	--	--	--	--	--	1.96	7.59	--	--	9.55
16	2230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.80	2.80
18	2425	--	--	--	--	--	2.50	--	--	--	5,13.95	0.07	5,16.52
19	2515	--	--	--	--	--	--	--	--	9,55.31	14.18	--	9,69.49
19	4515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,16.00	18,32.35	54,48.35
21	4801	2,00.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00.00
22	2059	66.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66.90
22	4059	87.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87.32
25	3456	--	--	--	--	--	--	19.50	--	--	--	--	19.50
28	2403	--	--	--	--	--	--	--	1,62.99	20.39	--	--	1,83.38
30	2403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71.31	71.31
योग		3,54.22	18.75	7.57	96.34	81.03	2,60.69	19.50	4,47.97	10,77.74	41,44.13	20,06.72	85,14.66

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 (अ) ;पृष्ठ-52)

वर्ष 2013-14 तक के लम्बित डी सी बिल (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
1.	निर्वाचन	2015	3	5.46
2.	शिक्षा	2202	6	38.04
3.	एन सी सी निदेशालय	2202	47	14.80
4.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र	2202	4	19.57
5.	युवा कल्याण	2204	12	9.15
6.	सामान्य प्रशासन	2205	1	0.25
7.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	8	448.73
8.	उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	2210	1	0.25
9.	पशुपालन	2403	9	13.90
10.	होमगार्ड	2070	2	0.39
11.	सामान्य प्रशासन	2070	2	2.35
12.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	2070	1	0.25
13.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4059	1	29.66
14.	सामान्य प्रशासन	2245	4	105.84
15.	सामान्य प्रशासन	2053	5	0.56
16.	ग्राम्य विकास	2515	6	0.26
17.	पंचायती राज	2515	1	0.03
18.	शहरी विकास	2217	1	0.20
19.	पशुपालन	2401	2	0.05
20.	वन	2406	10	2.04
21.	परिवहन	3055	1	0.20
22.	सिंचाई	2700	1	0.10
23.	सैनिक बोर्ड	2235	1	18.46
24.	मत्स्य पालन	2405	1	0.03
25.	उद्योग(खनन निदेशालय)	2853	1	0.10
26.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सरकारी सचिवालय	2052	2	0.60
27.	आर एफ सी कुमाऊँ	4408	1	40.00
28.	श्रम एवं रोजगार (उपनिदेशक कारखाना)	2230	1	15.00
29.	उत्तराखण्ड विधि एवं न्याय अकादमी	2014	4	2.44
30.	पर्यटन	5452	1	5.00
31.	राजस्व पुलिस निदेशालय	2053	1	0.15
32.	आयुक्त कुमाऊँ	2053	1	0.25
33.	मुख्य परिवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण	2235	1	0.05
योग			143	774.16

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 58)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण एवं
सरकारी नियेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार नियेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुडकी	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	अनुपलब्ध	
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 58)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (ये मामले जिनमें मार्च 2014 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थीं)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						
		0-1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष या अधिक	कुल मामलों की संख्या
1.	शिक्षा	--	--	--	--	--	01	01
2.	बन	--	--	02	01	--	--	03
योग				02	01	--	01	04

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 58)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का
विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
शिक्षा	--	--	01	1.07	01	1.07
वन	--	--	03	142.71	03	142.71
योग	--	--	04	143.78	04	143.78

परिशिष्ट 4.1

शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्यता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ ३ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्यासता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी

		संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या व्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - व्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणेतर प्रासियों की पर्यासता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए व्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियों की पर्यासता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियाँ बढ़ते हुए व्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्रासियों से ऋण विमोचन ($\text{मूलधन} + \text{व्याज भुगतान}$) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्रासियों का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणेतर प्रासियाँ	बढ़ते हुए व्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियों की पर्यासता। यदि बढ़ती हुई ऋणेतर प्रासियाँ बढ़ते हुए व्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।